

मंडल कार्यालय आदेश - 31/2024

पत्र सं.849-W/10/Safety/2023/M-1/ X

दिनांक -30.09.2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक

एवं मुख्य कृया नियन्त्रक

जोधपुर एवं मेडता रोड

समस्त लोको पायलट लोको पायलट शेटर एवं सहायक लोको पायलट

विषय:- चालक दल द्वारा, लोड/ट्रेन/लोको स्टेबलिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना और लोको/ट्रेन का सही से चार्ज लेना व देना व नियमानुसार शंटिंग करना।

लोको/ट्रेन का सही से चार्ज लेना व देना

1. सभी चालक दल लोकोमोटिव / ट्रेन का चार्ज (handling over-taking over) लोको कैब में ही करें ना कि "इंजन कैब से उतरकर कहीं और साइड में"
2. स.नि.5.23 (4) (अ) जब लोको पायलट ड्यूटी पर तैनात हो तो उसे लोको मानवरहित (अनमेंड) नहीं छोड़ना चाहिए। यदि उसे ऐसा करना पड़े तो उसे स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर से लिखित प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त सहायक नियम 5.23 (3) (अ), (ब), (स) को सुनिश्चित करना चाहिए
3. स.नि.5.23 (4) (ब) स्टेशन/यार्ड को छोड़ने से पूर्व LP व TM को स्टेशन मास्टर द्वारा मेनटेन किये जा रहे रजिस्टर में संयुक्त रूप से यह रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि लोको व लोड को उपरोक्त अनुसार सिक्योर कर दिया गया है।
4. लोको को ट्रेन के साथ स्टेशन/ यार्ड में (स्टेबल) सुरक्षित रखना (सा.वस.नि.5.23)
 - 4.1 सुनिश्चित करें कि वाहन लोड फाउलिंग मार्क के अंदर है।
 - 4.2 ट्रेन ब्रेक को A-9 के माध्यम से इमरजेंसी पोजीशन पर लगाये।
 - 4.3 लोकोमोटिव को सुरक्षित करने के अलावा, वाहनों/लोड/ट्रेन को कम से कम दोनों सिरों पर दो चैनों, दोनों सिरों पर एक-एक चैन से बांधना और पेडलॉक किया जाना है।
 - 4.4 कम से कम चार लकड़ी के गुटके/लोहे की स्किड का उपयोग किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक सिरे पर सबसे बाहरी पहिए के जोड़ों के नीचे 2-2 लगाया जाए।
 - 4.5 दोनों सिरों के कम से कम 6 वेगनों के हैंड ब्रेकों को पूर्णतया कस दें। कोचिंग वाहनों के स्टेबल होने की स्थिति में एसएलआर में गार्ड के हैंड ब्रेक का अवश्य उपयोग किया जाए। हैंड ब्रेकों को गार्ड के निजी पर्यवेक्षण में लगाया जाए और गार्ड की अनुपस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के निजी पर्यवेक्षण में लगाया जाए।
 - 4.6 1:400 से अधिक ढाल वाले स्टेशन पर लोड ट्रेन को स्टेबल करते समय संबंधित स्टेशन के एस डब्ल्यू आर में उल्लिखित अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएंगी।
5. सहायक नियम 5.23 (3) लोको सहित लोड/गाड़ी को स्टेबल किये जाने या लाइट इंजन को बंद या स्टेबल किये जाने पर लोको छोड़ने से पहले LP/ALP/LPS द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -
 - (अ)- SA-9 तथा A-9 दोनों ब्रेक लगाना। (ब) पार्किंग ब्रेक तथा हैण्ड ब्रेक लगाना।
 - (स)- लोको में उपलब्ध बुड़न वेज से लोको सिक्योर।

शंटिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां

उत्तर पश्चिम रेलवे के G&SR में उल्लिखित शंटिंग को नियन्त्रित करने वाले विभिन्न नियम निम्न प्रकार से हैं

i. शंटिंग का नियन्त्रण GR 5.13 & SR 5.13 (1) से 5.13(18)

ii. शंटिंग की जिम्मेदारी GR 5.14 & SR 5.14(1) से 5.14(3)

iii. कंद्रीयकृत यातायात नियन्त्रण (सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल) के अधीन स्टेशनों पर शंटिंग GR 5.15

iv. गाड़ियों के प्रवेश के समय शंटिंग GR 5.16

v. समपार लेवल क्रासिंग) के पास शंटिंग GR 5.17

vi. उतार-चढ़ाव पर शंटिंग करना GR 5.20

1. शटिंग के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

शटिंग से जुड़े सभी मामलों में युख्त रिक्षात् यह सुनिश्चित करना है कि कोच वैगन/रेक, चाहे वे लोकोमोटिव से जुड़े हों या थोड़े समय के लिए भी खड़े हों, उनमें पर्याप्त ब्रेक पावर हो और वे उचित रूप से सुरक्षित हो ताकि वे अपने आप नीचे न चुढ़के। ढाल के मामले में या शटिंग के दौरान प्रभाव पर या किसी अन्य कारण से।

(ए) कोचिंग रेक ट्रेनों के मामले में शटिंग:

सभी यात्री/मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के रिवर्सल सहित लोकोमोटिव को जोड़ने/अलग करने आदि से संबंधित संपूर्ण शटिंग गतिविधि की निगरानी शटिंग मास्टर ट्रेन मेनेजर / यार्डमास्टर / स्टेशन मास्टर करेगा।

शटिंग के दौरान निम्नलिखित स्थितियाँ हो सकती हैं:

जब शटिंग के दौरान लोकोमोटिव और रेक दो अलग-अलग इकाइयाँ बनाते हैं और लोकोमोटिव को उस रेक से अलग किया जाना है और/या जोड़ा जाना है जो थोड़े समय के लिए स्टेबल था

I. लोकोमोटिव को अलग करने से पहले बरती जाने वाली सावधानियाँ:

यहाँ उद्देश्य लोकोमोटिव को अलग करने से पहले रेक को सुरक्षित करना होना चाहिए। गतिविधियों का क्रम निम्न प्रकार से होगा।

- ट्रेन के आगमन पर LP ब्रेक (ट्रेन और लोकोमोटिव दोनों) का पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेगा। आगे वाले SLR के गाई डिब्बे का दरवाजा ALP द्वारा खोला जाएगा।
- ट्रेन रुकने के बाद शटिंग स्टाफ/ALP आगे वाले एसएलआर का हैंड ब्रेक लगाएगा।
- ट्रेन का आने वाला(इनकमिंग)गार्ड/ट्रेन मैनेजर पीछे वाले एसएलआर में हैंड ब्रेक लगाएगा।
- शटिंग स्टाफ लोकों को अलग करने से पहले प्रत्येक छोर पर सबसे बाहरी वाहन/कोच के पहियों की सबसे बाहरी जोड़ी के नीचे दो लोहे के स्किड/लकड़ी के वेज लगाना सुनिश्चित करेगा।

II. लोकोमोटिव को अलग करते समय सावधानियाँ:

- शटिंग स्टाफ को पहले लोकोमोटिव साइड के साथ-साथ ट्रेन के दोनों एफपी और बीपी के कॉक बंद करना होगा और फिर BP और FP एयर होज पाइप को अलग करके उन्हें उनके संबंधित हैंगर पर रखें।
- ब्रेक के पूरी तरह लगे होने की सुनिश्चित करने के लिए रेक/ट्रेन के ब्रेक पाइप में BP प्रेशर को निकालने के लिए शटिंग स्टाफ द्वारा BP कट ऑफ एंगल कोक को खोला जाएगा।
- शटिंग स्टाफ स्कू/सीबीसी कपलिंग को खोलेगा।
- BP प्रेशर खत्म होने पर ट्रेन के BP कट ऑफ एंगल कोक को बंद कर देना चाहिए।
- जहाँ लोको लगाया जाना है उस छोर के, 03 ICF और 5 LHB कोचों के ब्रेक C&W स्टाफ द्वारा बिना रिलीज किये छोड़ दिए जाएंगे। कोचों की शेष संख्या के ब्रेक, यदि कोई हो तो, C&W स्टाफ द्वारा मैन्युअल रूप से रिलीज किए जा सकते हैं।
- 1.400 या उससे अधिक ढलान वाले स्थान पर रेक/ट्रेन से लोकोमोटिव को अलग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी, जैसा कि अनुमोदित विशेष निर्देश (सीआरएस द्वारा) और/या उस स्टेशन के एसडब्ल्यूआर में उल्लेखित के तहत निर्दिष्ट किया गया है।
- यदि जाने वाले (आउटगोइंग) लोकोमोटिव को आने वाले (इनकमिंग) लोकोमोटिव को अलग करने के बाद 2 घंटे से अधिक के अंतराल के बाद जोड़े जाने की संभावना है या यदि उपरोक्त पैराग्राफ के तहत कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, तो पूरे रेक की रिलीज किये बैगर स्थिति में (ब्रेक लागु अवस्था में) छोड़ दिया जाएगा।

III. रेक/ट्रेन पर लोको जोड़ते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ:

यहाँ उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि लोकोमोटिव के अटैचमेंट के समय रेक प्रभाव पर पड़ने से न लुढ़के (रोल डाउन न हो)। गतिविधियों निम्न प्रकार से होगी :-

- शटिंग स्टाफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जोड़े जाने वाले लोकोमोटिव को रेक से उचित दूरी पर रोका जाए, और यदि किसी विशेष स्टेशन पर कोई दूरी निर्दिष्ट नहीं है तो रेक ट्रेन से लगभग 20 मीटर पहले और फिर कटम-चाल की गति से आगे बढ़े। ट्रेन के साथ जोड़े।


B. लोकोमोटिव को रेक ट्रेन से जोड़ने के बाद, निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

- कपलिंग की प्रभावशीलता लोको पायलट और शटिंग पर्यवेक्षक द्वारा ट्रेन को हल्का सा आगे बढ़ाकर सुनिश्चित की जाएगी।
- शटिंग स्टाफ शटिंग सुपरवाइजर सीबीसी के लॉकिंग/स्कू कपलिंग की मजबूती सुनिश्चित करेगा।
- लोकोमोटिव को जोड़ने के बाद LP लोको ब्रेक एसए 9 लगाएगा।
- लोकोमोटिव और ट्रेन के एफपी और बीपी एयर होज को C&W स्टाफ द्वारा जोड़ा जाएगा।
- रेक ट्रेन के फीड पाइप का एंगल कॉक C&W स्टाफ द्वारा खोला जाएगा।
- लोको के फीड पाइप का एंगल कॉक C&W स्टाफ द्वारा खोला जाएगा।

- g. LP द्वारा इंजन फीड पाइप में 6 Kg/cm^2 प्रेशर और गार्ड/ट्रेन मेनेजर द्वारा पिछले एसएलआर गार्ड डिब्बे में $5.8-6.0 \text{ Kg/cm}^2$ प्रेशर सुनिश्चित करने के बाद, रेक/ट्रेन के बीपी एंगल कॉक को C&W स्टाफ द्वारा खोला जाएगा।
- h. इंजन के बीपी एंगल कॉक C&W स्टाफ द्वारा खोला जाएगा।
- i. LP द्वारा इंजन में 5 Kg/cm^2 प्रेशर और पीछे एसएलआर में $4.8-5.0 \text{ Kg/cm}^2$ प्रेशर गार्ड और C&W स्टाप्स द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- j. रेक/ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए ट्रेन के दोनों ओर पर लगाए गए लोहे के स्किड लैकड़ी के वैजेज को शंटिंग स्टाफ द्वारा हटा दिया जाएगा।
- k. शेष 03 आईसीएफ और 05 एतएचची बोच जो बिना रिलीज किए छोड़ दिए गए थे, उन्हें अब C&W स्टाफ द्वारा रिलीज किया जाना चाहिए।
- l. आगे वाले एसएलआर में गार्ड डिब्बे के हैड ब्रेक को शंटिंग स्टाफ द्वारा और पीछे के एसएलआर में गार्ड डिब्बे के हैड ब्रेक को गार्ड द्वारा रिलीज किया जाना चाहिए।
- C. ALP यह सुनिश्चित करेगा कि आगे वाले एसएलआर में गार्ड डिब्बे का दरवाजा लॉकड है।
- D. ट्रेन शुरू स्टार्ट करने से पहले ब्रेक पाइप निरंतरता परीक्षण (कंटीन्यूटी टेस्ट) निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

लोकोमोटिव से जुड़े रेक के हिस्से के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोकोमोटिव 5.0 Kg/cm^2 के निर्धारित बीपी प्रेशर को बनाए रखता है और लोकोमोटिव से जुड़े सभी डिब्बे चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो, लोकोमोटिव के ऐसे 5.0 Kg/cm^2 बीपी प्रेशर से जुड़े रहेंगे।

- नोट-**
1. G&SR, SWR में निर्धारित सभी नियमों सहित समय-समय पर जारी अन्य सभी नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
 2. सभी मुख्य लोको निरीक्षक अपने नामित रनिंग स्टाफ को शंटिंग मूवमेंट व लोड/लोको स्टेबल व चार्ज लेने/देने के बारे में काउंसलिंग करे तथा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अम्बुश (JU, MTD, SONU, BME, POK, MEC स्टेशन पर) चेक भी करे।



वरी, मंडल वांत्रिक इंजी. (Engrm&P)
उ.प. रेलवे, जोधपुर

प्रतिलिपि

मंडल रेल प्रबन्धक सादर सूचनार्थ

अपर मंडल रेल प्रबन्धक (परि.), सादर सूचनार्थ

वरी. मंडल संरक्षा अधिकारी, सादर सूचनार्थ

स.म.या.इंजी.(शक्ति), सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु